प्राक्कथन

प्राक्कथन

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2. अध्याय-1 प्रतिवेदन के लिए आधार और दृष्टिकोण तथा अंतर्निहित आंकडों का वर्णन करता है, सरकारी लेखाओं की संरचना, बजटीय प्रक्रियाएं, प्रमुख सूचकांकों के बृहत् वित्तीय विश्लेषण तथा घाटे/अधिशेष सहित रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रदान करता है।

3. इस प्रतिवेदन के अध्याय 2 और 3 में 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के क्रमशः वित्त लेखाओं और विनियोजन लेखाओं की जांच से उद्भूत मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां समाविष्ट हैं। रा.रा.क्षे.दि.स. से जहाँ भी आवश्यक है सूचना प्राप्त की जा चुकी है।

4. अध्याय 4 चालू वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, निर्देशों के अनुपालन पर टिप्पणी करता है।

5. अध्याय 5 सरकारी कंपनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों और वैधानिक निगमों के वित्तीय निष्पादन तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (एसपीएसई) के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी प्रमुख टिप्पणियों के प्रभाव पर चर्चा करता है।

6. वह प्रतिवेदन जिसमें विभिन्न विभागों के लेनदेन की निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष और वैधानिक निगमों, बोर्डों और सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा से उद्भूत अभ्युक्तियां सम्मिलित हैं और वह प्रतिवेदन जिसमें राजस्व प्राप्तियों से संबंधित अभ्युक्तियां सम्मिलित हैं, पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं।